न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 303/2009 (जीसीएमएस संख्या – 2009/00101)
सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र घासीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मकान नं0 26, शर्मा भवन, नौ दुकान नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर (मृतक)।
   1/1 रामावतार शर्मा पुत्र स्व0 राधेश्याम, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मकान नं0 26, शर्मा भवन, नौ दुकान, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर।
   1/2 गोपाललाल शर्मा पुत्र स्व0 राधेश्याम, निवासी–मकान नं0 26, शर्मा भवन, नौ दुकान, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर।
2. गुलाबचन्द पुत्र सुवालाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–प्लाट नं0 26, शर्मा भवन, नौ दुकान नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर (मृतक)।
   2/1 नाथूलाल शर्मा पुत्र स्व0 गुलाबचन्द, जाति–ब्राहम्ण, प्लाट नं0 26, शर्मा भवन, नौ दुकान, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर।
   2/2 दामोदर प्रसाद शर्मा पुत्र स्व0 गुलाबचन्द, जाति–ब्राहम्ण, प्लाट नं0 26, शर्मा भवन, नौ दुकान, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर।
   2/3 कैलाशचन्द शर्मा पुत्र स्व0 गुलाबचन्द, जाति–ब्राहम्ण, प्लाट नं0 26, शर्मा भवन, नौ दुकान, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–
1. पेरोकार सराकर।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 30.04.2026**

तहसीलदार, जयपुर द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम बस्सी सीतारामपुरा की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में आराजी ख0न0 25 रकबा 9 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड है और कॉलम सं0 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान में खालसा खाता नं0 10/1 व कॉलम सं0 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में घासीलाल सुवालाल हि0 बराबर दर्ज है वादग्रस्त आराजी मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में आराजी ख0न0 25 रकबा 9 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड है और कॉलम सं0 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान में खालसा खाता नं0 10/1 दर्ज है वादग्रस्त

आराजी जरिऐ नामान्तरकरण सं0 38, 61, 65 द्वारा निजी खातेदारी में दर्ज होने के फलस्वरूप राधेश्याम गुलाबचन्द के नाम दर्ज है। यह आराजी मूल रूप से गैर–मुमकिन नला दर्ज होने के बावजूद जरिऐ हस्तान्तरण अप्रार्थीगण के नाम अंकित की गई है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः ग्राम बस्सी सीतारामपुरा की आराजी ख0न0 25 रकबा 9 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त करने एवं वापिस गै0मु0 नला दर्ज किये जाने के आदेश हेतु रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र राजस्व मण्डल को भिजवाया जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सराकर का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विधि–विधान एवं तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार संधारित राजस्व अभिलेख मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में आराजी ख0न0 25 रकबा 9 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड है और कॉलम सं0 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान में खालसा खाता नं0 10/1 व कॉलम सं0 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में घासीलाल सुवालाल अंकित है। वादग्रस्त आराजी जरिऐ नामान्तरकरण सं0 38, 61, 65 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। जो प्रांरभ से शून्य है और शून्य आधारित अधिकारो से दर्ज राजस्व अभिलेख में दर्ज इन्द्राज के आधार पर कोई इन्द्राज किया गया है तो वह भी प्रांरभ से शून्य है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में गै0मु0 नला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन/नियमन/हक खातेदारी हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गै0मु0 नला भूमि की निजी खातेदारी दर्ज की गई है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में आराजी ख0न0 25 रकबा 9 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड है और कॉलम सं0 3 नाम

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वि.) जयपुर

भोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान में खालसा खाता नं0 10/1 दर्ज है वादग्रस्त आराजी जरिऐ नामान्तरकरण सं0 38, 61, 65 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस गैर मुमकिन नला दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 15.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 30.04.2026 को सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीना)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर